न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No.-352/2026

गम्हरिया थाना कांड सं.–48/2026

1- पुनम देवी उम्र करीब 45 वर्ष पति सुरेश यादव
2- प्रतिभा कुमार उम्र करीब 19 वर्ष पे0 सुरेश यादव
3- संगीता देवी उम्र करीब 28 वर्ष पति पप्पु यादव
4- तारा देवी उम्र करीब 50 वर्ष पति स्व0 रामानन्द यादव
5- प्रियांशु कुमार उम्र करीब 18 वर्ष पे0 सुरेश यादव
6- पप्पु यादव उम्र करीब 18 वर्ष पे0 स्व0 रामानन्द यादव
7- सुरेश यादव उम्र करीब 46 वर्ष पे0
(साकिन –टोकसिहपुर, वार्ड नं0–06, थाना–गम्हरिया व जिला– मधेपुरा)
8- आशीष यादव उम्र करीब 25 वर्ष पे0 अग्रवाल यादव
(साकिन –मोहनपुर थाना व जिला– मधेपुरा)

.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....ओ.पी.।

23-06-2026

जमानत आवेदन अभियुक्त **पुनम देवी, प्रतिभा कुमारी, संगीता देवी, तारा देवी, प्रियांशु कुमार, पप्पु यादव, सुरेश यादव एवं आशीष यादव** के द्वारा गम्हरिया थाना कांड संख्या–48/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 191(2)(3), 190, 303(2), 109, 352, 351(2)(3) बी.एन.एस में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक भूषण कुमार के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–24.02.2026 को शाम को 5 बजे जैसे ही वह स्कूल से घर आया उसके पड़ोस के पप्पू यादव, सुरेश यादव, प्रियांशु कुमार, प्रतिमा कुमारी, संगीता देवी, तारा देवी, पूनम देवी, आशीष यादव एवं 5–6 अज्ञात व्यक्ति उसे हथियार, थ्रीनट, लाठी–डंडा एवं भाला–फरसा, खंती दबिया के साथ उसके रवाजे पर पहुच गया तथा पप्पू यादव ने गाली देते हुए कहा आज साले को जान से मार दो और उसके उपर फरसा से प्रहार कर दिया जिससे उसका सर फट गया तथा उसके माथे एवं नाक से खून बहने लगा। सुरेश यादव ने उसके उपर लोहे के खंती से प्रहार किया और उसका कंठ दबा दिया जिससे उसका सांस घुटने लगा। वह किसी तरह हल्ला किया तो उसका बेटा सुशांत दौड़कर आ उसे आते देखकर आशीष यादव ने उसे पकरकर गले में गमछा लगा दिया तथा प्रियांशु कुमार, तारा देवी, संगीता देवी, पूनम देवी एवं प्रतिमा कुमारी ने लाठी और रड से अंधाधुंध मारने लगा। गला में गमछा लगाए हुए आशीष यादव ने सुशांत को जमीन पर पटक दिया और घसीटने लगा जिससे सुशांत का दम घुटने लगा। किसी तरह वह चिल्लाया तो आस–पड़ोस के लोग दौड़कर आए तो बीच–बचाव कर उसका जान का रक्षा किया। सुरेश यादव और पप्पु यादव ने उसके उपर बार–बार खंती और फरसे से प्रहार करता रहा। तत्पश्चात वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस हालत में पप्पु यादव ने उसके जेब से नगद 10000/– रूपया तथा पर्स निकाल लिया जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ए.

23-06-2026
लगातार.....

टी.एम. था। सुरेश यादव ने उसके हाथ से एक सोने का अंगुठी वनज 10 ग्राम मूल्य करीब 150000/– रूपया था निकाल लिया। पूर्व में भी सिपाही के साथ ये लोग उसके साथ कई तरह का अपराधिक घटना किया है। सुरेश यादव व पप्पु यादव बिना नम्बर का ट्रैक्टर एवं अन्य गाड़ी रखे हुआ है तथा बिना लाइसेंस का ड्राईविंग करता है। जाते–जाते पप्पु यादव ने थ्रीनट लहराते हुए कहा अगर केस मुकदमा किया तो दूसरे दिन इसी थ्रीनट से सबको जान से मार दूंगा। इसके अतिरिक्त उसके 80 वर्ष के पिता एवं अन्य व्यक्ति को भी धक्का–मुक्की एवं मारपीट किया। सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध गम्हरिया थाना कांड संख्या–48/2026 अन्तर्गत धाराऐं 126(2), 115(2), 191(2)(3), 190, 303(2), 109, 352, 351(2)(3) बी.एन.एस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रकांत झा द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदकगण पुर्णतः निर्दोष है तथा आरोपित अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा इससे पूर्व अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में लंबित या खारिज नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण को इस वाद में ग्रामीण राजनीति एवं दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। उभयपक्षों के बीच पलटा मुकदमा है। उभयपक्षों के बीच सुलह–समझौता हो गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 109 का अभियोग नहीं बनता है आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय की संतोषाप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव, द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहे हैं कि खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा औपचारिक प्राथमिकी, सूचिका के लिखित आवेदन, मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्तों पर अन्य अभियुक्तों द्वारा मजमा बनाकर सूचक एवं सूचक के परिजन के साथ गाली–गलौज कर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। उभयपक्षों के बीच सुलह–समझौता हो गया हैं। सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह का समर्थन करते है। भूषण कुमार एवं सुशांत शेखर का जख्म प्रतिवेदन साधारण caused by hard blunt substance है। भूषण कुमार का जख्म :– 1. Lacerated wound bleeding on mid periatal Region 3cmx1cmx1cm, 2. Abration on left shoulder 1cmx 1/8 x 1/8 cm3- Pain in left hand, legleft, left eye, red mark on right thigh. 4. Blood clotted in right nose. सुशांत शेखर का जख्मः– 1. Abration on left elbow ½ cm x ¼ cm x ¼ cm. 2. Swelling on left frontal head ¼ cm x 1/6 cm x 1/8 cm 3. Swelling tenderness on right arm 1 cm x ¼ cmx 1/8cm. 4. Pain in neck, red mark on right side cheek. अभियुक्तगण न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये है।

23-06-2026
लगातार.....

वाद के उक्त तथ्यों, परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति को देखते हुए उक्त आवेदक अभियुक्तगण **पुनम देवी, प्रतिभा कुमारी, संगीता देवी, तारा देवी, प्रियांशु कुमार, पप्पु यादव, सुरेश यादव एवं आशीष यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आवेदक अभियुक्तगण द्वारा संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438(2) के शर्तों के अधीन मो0 20,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रति के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(संजीव कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश– प्रथम,
सह–स्पेशल जज, मधेपुरा।